भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1897

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

पाकिस्तानी शिष्टमंडल द्वारा पठानकोट का दौरा किया जाना

1897. श्री शान्ताराम नायक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पठानकोट पर हमले से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए पाकिस्तानी दल द्वारा जब पठानकोट का दौरा किया गया था, तब भारत और पाकिस्तान के बीच क्या समझौता हुआ था;

(ख) क्या समझौते में भारतीय शिष्टमंडल के पाकिस्तान दौरे की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि भारतीय शिष्टमंडल अब तक पाकिस्तान का दौरा नहीं कर पाए हैं;

(घ) क्या समझौते का पुनरीक्षण रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा किया गया था;

(ड़) यदि हां, तो क्या इस समझौते में कोई खामी है; और

(च) यदि हां, तो त्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) से (च): दोनों पक्षों के बीच सहमति के आधार पर और विद्यमान वैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में आपसी सहमति वाले टर्म्स ऑफ रिफरेंस को आगे बढ़ाते हुए पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के माध्यम से पाकिस्तान के संयुक्त जांच दल (जेआईटी) ने भौतिक साक्ष्य इकट्ठा करने, उसकी समीक्षा करने और उसका डॉक्यूमेंट तैयार करने तथ प्रमुख गवाहों एवं पीड़ितों का साक्षात्कार लेने के लिए दिनांक 27 मार्च, 2016 से 31 मार्च, 2016 के बीच भारत का दौरा किया। दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली में हुई 'हार्ट ऑफ एशिया-सीनियर ऑफीशियल्स मीटिंग' के अवसर पर दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक के दौरान पाकिस्तान को यह बता दिया गया था कि पाकिस्तान की जेआईटी की यहां से वापसी के बाद, जिन्होंने अपने भारत दौरे के दौरान अपनी इच्छानुसार सभी साक्ष्य एकत्र किए थे, अब हमले की जांच की प्रगति की समीक्षा करने का समय है।